संख्या-63/2016-2346 ई-2/तेरह-2016-123/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 अक्टूबर,2016

विषय:-शीरा नीति वर्ष 2015-16 के सम्बन्ध में प्राप्त धामपुर समूह के प्रत्यावेदन का निस्तारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-33/दस-शीरा-139/धामपुर आसवनी/बिजनौर, दिनांक 14 अगस्त,2016, पत्र संख्या-जी-41/दस-शीरा-139/धामपुर आसवनी/बिजनौर, दिनांक 14 सितम्बर,2016 तथा प्रकरण में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 07-10-2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2254 ई-2/तेरह-2016-123/2014, दिनांक 14 अक्टूबर,2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि परिषद के आदेशोपरान्त निर्गत शासनादेश संख्या-7/2016/429 ई-2/तेरह-2016-123/2014, दिनांक 19 फरवरी,2016 के अनुपालन में अवमुक्त किये गये शीरे को पुन: अगले वर्ष धामपुर समूह के शीरे में जोडकर आरक्षण लिया जाना उचित नहीं है। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 19 फरवरी,2016 तथा शीरा नीति वर्ष 2015-16 के आलोक में धामपुर समूह के प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुये आगामी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।